



बिहार विधान परिषद्

दैनिक विवरणिका

संख्या- 2

सत्र- 213वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 21.7.2026 ई.

माननीय सभापति, श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.30 बजे अपराह्न तक

कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आसन का नियमन

सदन प्रारंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. सुनील कुमार सिंह ने गावों में होलिंग टैक्स लगाने के संबंध में कार्यस्थगन के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसपर आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि यह नियमानुसार नहीं है, इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी ने भी वक्तव्य दिया।

1. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या - 1, 2 एवं 3 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या - 4 से 14 तक अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

- प्रश्न संख्या - 1 से लेकर 9 तक उत्तरित हुए।
 प्रश्न संख्या - 10 से 18 तक एवं 20 से 25 तक तथा 27 एवं 28 अनागत हुए।
 प्रश्न संख्या - 19 एवं 26 सदन पटल पर रखे गए।

2. शून्यकाल

1. श्रीमती शशि यादव
2. श्री सोनु कुमार राय
3. श्री अनिल ठाकुर एवं डा. उर्मिला ठाकुर

आसन का नियमन

आसन से माननीय सभापति महोदय ने इसपर यह नियमन देने की कृपा की कि इसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति देखेगी।

4. डा. सुनिल कुमार सिंह

आसन का नियमन

आसन से माननीय सभापति महोदय ने इसपर यह नियमन देने की कृपा की कि इसे ध्यानाकर्षण में परिवर्तित किया जाता है, इसपर सरकार की ओर से शुक्रवार, दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिया जायेगा।

5. डा. अजय कुमार सिंह

3. औपचारिक कार्य

श्री अशोक कुमार, माननीय अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों की विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति के 216वां प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखी गई, जिसपर सदन की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई।

4. परिणियत कार्य

1. माननीय मंत्री, डा. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा बेतिया राज की सम्पत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2026, बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2026, सीनियर रेजीडेंट/ ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008, सीनियर रेजीडेंट/ ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2013, सीनियर रेजीडेंट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2026 तथा सीनियर रेजीडेंट/ ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, डा. अजय कुमार सिंह एवं अन्य (04) माननीय सदस्यगण द्वारा बिहार के बच्चों एवं युवाओं में तेजी से बढ़ रहे प्रतिबंधित सूखा नशा की रोकथाम हेतु त्वरित कार्रवाई किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने लिखित वक्तव्य दिया।

(इस अवसर पर श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल के प्रस्ताव पर सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।)

2. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय द्वारा सारण सहित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया)

6. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

1. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार सिंह द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'औरंगाबाद जिला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा देव सूर्य मंदिर की धार्मिक पहचान को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद जिला का नाम परिवर्तित कर आदित्य नगर करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

2. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए कराटे का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लागू करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

3. माननीय सदस्य, श्री आफाक अहमद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन, भत्ता एवं अन्य वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

4. माननीय सदस्या, श्रीमती निवेदिता सिंह द्वारा प्रस्ताव किया कि सरकार 'रोहतास जिला में आदर्श महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करे।'

(माननीय सदस्या, अनुपस्थित)

5. माननीय सदस्य, श्री ललन प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'पटना, शेखपुरा, लखीसराय एवं नालन्दा जिला के टाल क्षेत्रों में हरोहर नदी से प्रभावित किसानों को विशेष मुआवजा का प्रावधान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

6. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार पाण्डेय द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पूर्व से मिल रही रियायती रेल यात्रा की सुविधा, जो वर्तमान में बंद है, को पूर्ववत् बहाल करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

7. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'सरकार द्वारा वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों के नियमित वेतन एवं बकाया अनुदान की राशि एकमुश्त भुगतान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

8. माननीय सदस्या, श्रीमती शिवरानी देवी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'माटी कला के कारीगरों की आर्थिक उन्नति हेतु माटी कला को उद्योग का दर्जा प्रदान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

9. माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार स्व. बिन्देश्वरी दूबे की घोषणा के आलोक में पूर्वी चम्पारण की धरोहर बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से सम्बद्ध रवीन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं महाराजा हरेन्द्र किशोर सिंह अस्पताल, मोतिहारी का सरकारीकरण करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

10. माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली संबंधी निर्णय वापस ले।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

11. माननीय सदस्य, श्री जीवन कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि वह 'राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रोन्नति तथा सेवा निरंतरता की सुविधा प्रदान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

12. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'नवादा जिला मुख्यालय में मनाए जाने वाले ककोलत महोत्सव का आयोजन 14 अप्रैल को ही विसुआ पर्व के दिन पारम्परिक रूप से ककोलत में कराए।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

13. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं मानसिक विकास के उद्देश्य से प्रतिदिन 10 मिनट का आनापान ध्यान का नियमित अभ्यास प्रारंभ करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

14. माननीय सदस्य, डा. अजय कुमार सिंह का प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'कोशी क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

15. माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'वित्त रहित कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान यथाशीघ्र करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

16. माननीय सदस्य, श्री वंशीधर ब्रजवासी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य में कार्यरत सभी स्थानीय निकाय बेसिक व स्नातक ग्रेड शिक्षकों यथा- पंचायत / प्रखंड / नगर शिक्षकों एवं जिला परिषद् माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित सभी विशिष्ट शिक्षकों तथा विद्यालय अध्यापकों की लंबित प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे।'

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ)

17. माननीय सदस्य, श्री सोनु कुमार राय द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'त्रिस्तरीय पंचायती राज के पूर्व प्रतिनिधियों के लिए पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

18. माननीय सदस्य, प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'सीवान जिला के भूमिविहीन कन्या उच्च विद्यालय, मैरवा को भूमि एवं भवन उपलब्ध करावे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

19. माननीय सदस्या, श्रीमती शशि यादव ने प्रस्ताव किया गया कि वह 'सभी विभागों, उपक्रमों, अभियानों तथा निजी क्षेत्र के दायरे में 04 (चार) श्रम संहिताओं के तहत तय मजदूरी / वेतन / पारिश्रमिक का ससमय भुगतान कराने हेतु राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों एवं श्रम कानून के विशेषज्ञों की सहभागिता वाले निगरानी निकाय का गठन करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

(श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल के प्रस्ताव पर
सदन का समय बढ़ाया गया)

20. माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य में कार्यरत सभी श्रेणी के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालयों में सुनिश्चित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

21. माननीय सदस्य, श्री कुमार नागेन्द्र द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य के सभी क्षेत्र को समान रूप से विकास करने के निमित्त सांसद एवं विधायक निधि की भांति स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को एक निश्चित विकास राशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

22. माननीय सदस्य, डा. मदन मोहन झा द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के महीनों से लंबित वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशनादि के शत-प्रतिशत भुगतान हेतु यथाशीघ्र राशि की व्यवस्था करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

23. माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'विभिन्न विभागों के अधीन स्थापित एवं संचालित समान एवं एकरूप पाठ्यक्रम का अध्यापन कराने वाले सभी श्रेणी के विद्यालयीय शिक्षकों के बीच वेतन संबंधी भेदभाव को समाप्त करते हुए राज्यकर्मियों के लिए निर्धारित वेतन-संरचना को अनिवार्य रूप से लागू करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

24. माननीय सदस्य, श्री घनश्याम ठाकुर द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

25. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'विधान मंडल के सदस्यों के समरूप ही त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए भी नियमित वेतन, भत्ता, मेडिकल तथा पेंशन की व्यवस्था करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

26. माननीय सदस्य, डा. सुनील कुमार सिंह द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य के उपभोक्ताओं को समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में लागू मूल्य पर ही डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करे।'

(संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ)

7. निवेदन

1. श्री घनश्याम ठाकुर
2. श्री सोनु कुमार राय
3. डा. संजीव कुमार सिंह
4. श्री जीवन कुमार
5. प्रो. संजय कुमार सिंह
6. श्री कुमार नागेन्द्र

7. श्री सर्वेश कुमार
8. श्री कार्तिक कुमार
9. डा. अजय कुमार सिंह
10. श्रीमती रीना देवी
11. श्री बिनोद कुमार जयसवाल
12. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह
13. श्रीमती अनामिका सिंह
14. डा. उर्मिला ठाकुर
15. श्रीमती शिवरानी देवी
16. श्री महेश्वर सिंह
17. श्री ललन प्रसाद
18. श्री अनिल कुमार

सभापति : आज दिनांक 21.7.2026 को कुल- 18 प्राप्त निवेदनों को निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 22.7.2026 को
12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

(Signature)
 21/07/2026

(सुभीम शर्मा)

मुख्य प्रतिवेदक,

बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 1037 (3) / वि.प.

पटना, दिनांक 21.7.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठाता निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
 21.7.2026

(अनिल कुमार आनन्द)

वरीय प्रतिवेदक,

बिहार विधान परिषद्।



روزانہ تفصیلات

بہار قانون ساز کاؤنسل

۲۱۳واں اجلاس

شمارہ ۲

ایوان کی کارروائی کا مختصر ریکارڈ

منگل، ۲۱ جولائی، ۲۰۲۶

21.07.2026

عزت مآب چیرمین جناب اودھیش نارائن سنگھ کی صدارت میں

ایوان کی کارروائی شروع ہوئی

12.00 بجے دن سے 05.30 بجے دن تک

تحریک التواء تجویز پر صدر نشین کی رولنگ

ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی معزز رکن، ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ نے گاؤں میں ہولڈنگ ٹیکس لگانے کے سلسلے میں تحریک التواء تجویز کے توسط سے صدر نشین کی توجہ مبذول کی جس پر کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ یہ ضابطہ کے مطابق نہیں ہے، اس لئے نا منظور کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں معزز وزیر، جناب سمرات چودھری نے بھی بیان دیا۔

۱۔ وقفہ سوال و جواب

مختصر میعاد سوال

سوال نمبر ۱۲۱ اور ۱۲۲ کے جواب دیئے گئے۔

سوال نمبر ۴ سے ۱۴ تک ایوان کی میز تک نہیں پہنچے۔

علامتی سوال

سوال نمبر۔ ۱ سے لے کر ۹ تک کے جواب دیئے گئے۔

سوال نمبر۔ ۱۰ سے ۱۸ تک اور ۲۰ سے ۲۵ تک اور ۲۷ سے ۲۸ ایوان کی میز تک نہیں پہنچے۔

سوال نمبر۔ ۱۹، ۲۶ ایوان کی میز پر رکھے گئے۔

۲۔ وقفہ صفر

۱۔ محترمہ ششی یادو ۲۔ جناب سونو کمار رائے ۳۔ جناب ائل ٹھا کروڈا کٹر ارمیلا ٹھا کر

صدر نشیں کی رولنگ

کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے اس پر یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ اسے سوال و توجہ طلب اطلاع کمیٹی دیکھے گی۔

۴۔ ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ

صدر نشیں کی رولنگ

کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے اس پر یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ اسے توجہ طلب میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس پر حکومت کی جانب سے جمعہ، مورخہ ۲۴ جولائی، ۲۰۲۶ کو جواب دیا جائے گا۔

۵۔ ڈاکٹر اجے کمار سنگھ

۳۔ ریکی امور

جناب اشوک کمار، چیرمین غیر سرکاری اراکین کے بل اور ریزولوشن سے متعلق کمیٹی کے ذریعہ کمیٹی کی ۲۱۶ ویں رپورٹ کی کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی، جس پر ایوان کی جانب سے منظوری عطا کی گئی۔

۴۔ ضابطے کے تحت کارروائی

۱۔ معزز وزیر، ڈاکٹر دلپ کمار جیسوال کے ذریعہ بتیار راج کو مضمر کرنے والے ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶، بہار خصوصی سروے و بندوبستی (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۵، بہار خصوصی سروے و بندوبستی (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۴ اور بہار کاشتکاری (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۳ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

۲۔ معزز وزیر، جناب سنیل کمار کے ذریعہ بہار اسٹیٹ متعلقہ صحت دیکھ بھال کاؤنسل ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶، بہار اسٹیٹ متعلقہ صحت دیکھ بھال کاؤنسل (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶، سینئر ریزیڈنٹ ریٹائر اور بہار میڈیکل ایجوکیشن سروس بھرتی، بحالی و پروموشن ضابطہ نامہ، ۲۰۰۸، سینئر ریزیڈنٹ ریٹائر اور بہار میڈیکل ایجوکیشن سروس بھرتی، بحالی و پروموشن (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۱۳، سینئر ریزیڈنٹ

ریٹوٹر اور بہار میڈیکل ایجوکیشن سروس بھرتی، بحالی و پر مشن (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶ اور سینئر ریڈنٹ ریٹوٹر اور بہار میڈیکل ایجوکیشن سروس بھرتی، بحالی اور پر مشن (دوسری ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۶ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

۵۔ توجہ طلب اطلاع

۱۔ معزز رکن، ڈاکٹر اجے کمار سنگھ اور دیگر ۴ (چار) معزز اراکین کے ذریعہ بہار کے بچوں اور نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہے ممنوعہ سوکھانہ کی روک تھام کے لئے فوری کارروائی کئے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب مدن سہنی نے تحریری بیان دیا۔

(اس موقع پر جناب سنجے کمار سنگھ، چیف وہپ، حزب اختلاف کی تجویز پر ایوان کے اتفاق سے توجہ طلب کا جواب ہونے تک ایوان کا وقت بڑھایا گیا۔)

۲۔ معزز رکن، جناب سچید انند رائے کے ذریعہ سارن سمیت ریاست کے دیہی علاقوں میں کم ووشیج کے مسئلہ کے مستقل حل اور معیاری بجلی سپلائی یقینی بنانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب سیلیش کمار عرف بولومنڈل نے بیان دیا۔

(وقفہ)

(اس موقع پر عزت مآب ڈپٹی چیرمین کرسی نشیں ہوئے۔)

۶۔ غیر سرکاری اراکین کے امور (غیر سرکاری ریزولوشن)

۱۔ معزز رکن، جناب دلپ کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت 'اورنگ آباد ضلع کے تاریخی، ثقافتی اور دیوسور یہ مندر کی مذہبی شناخت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اورنگ آباد کا نام بدل کر آدتیہ نگر کرے'۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۲۔ معزز رکن، محترمہ رینادیوی نے تجویز پیش کی کہ حکومت 'ریاست کے سبھی سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات کے لئے کرائے کی ٹریننگ لازمی طور سے نافذ کرے'۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۳۔ معزز رکن، جناب آفاق احمد نے تجویز پیش کی کہ حکومت 'سرکاری امداد یافتہ اقلیتی سکندری اسکولوں کے تدریسی و غیر تدریسی ملازمین کو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے مساوی تنخواہ بھتہ اور دیگر مالی سہولیات عطا کرے'۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۴۔ معزز رکن، محترمہ نویدیتا سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت 'روہتاس ضلع میں مثالی خواتین یونیورسٹی کا قیام کرے'۔

(معزز رکن غیر حاضر۔)

۵۔ معزز رکن، جناب للن پرساد نے تجویز پیش کی کہ حکومت پٹنہ، شیخ پورہ، لکھی سرائے اور نالندہ ضلع کے ٹال علاقوں میں ہروہندی سے متاثر کسانوں کے لئے خصوصی معاوضہ کا نظم کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۶۔ معزز رکن، جناب اشوک کمار پانڈے نے تجویز پیش کی کہ حکومت راجیہ کے منظور شدہ صحافیوں کو قبل سے مل رہی رعایتی ریل سفر کی سہولیت جو فی الحال بند ہے، کو قبل کی طرح بحال کرنے کے لئے حکومت ہند سے سفارش کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۷۔ معزز رکن، پروفیسر سجنے کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت حکومت کے ذریعہ مالی گرانٹ یافتہ تعلیمی اداروں کے تدریسی/غیر تدریسی ملازمین کے باضابطہ شرح تنخواہ اور بقایہ گرانٹ کی رقم ایک مشن ادائیگی کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۸۔ معزز رکن، محترمہ شیورانی دیوی نے تجویز پیش کی کہ حکومت خاکی آرٹ کے کاریگروں کے مالی فروغ کے لئے خاکی آرٹس کو صنعت کا درجہ عطا کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۹۔ معزز رکن، جناب مہیشور سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت سابق وزیر اعلیٰ، بہار آنجانی بندیشوری دو بے کی اعلان کی روشنی میں مشرقی چمپارن کی وراثت بی آراے بہار یونیورسٹی، مظفر پور سے ملحق رویندر ناتھ کھرجی آریوید میڈیکل کالج اور مہاراجہ ہریندر کشور سنگھ اسپتال، مویتہاری کو سرکاری الحاق عطا کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۰۔ معزز رکن، جناب عبدالباری صدیقی نے تجویز پیش کی کہ حکومت اسٹیٹ ہائی وے پرنٹل ٹیکس کی وصولی سے متعلق فیصلہ واپس لے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۱۔ معزز رکن، جناب جیون کمار نے تجویز پیش کی کہ وہ ریاست کے سرکاری اسکولوں میں مامور سبھی کٹیگری کے اساتذہ رلا بیری نیوں کو پروموشن اور ملازمت میں ریگولیریٹی عطا کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۲۔ معزز رکن، جناب اشوک کمار نے تجویز پیش کی کہ حکومت نواد ضلع صدر مقام میں منایا جانے والے ککولت مہوتسو کا انعقاد ۱۴ اپریل کو ہی ویسواپرو کے دن روایتی طور پر ککولت میں منائے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۳۔ معزز رکن، جناب نیرج کمار نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست کے سبھی سرکاری اسکولوں میں کلاس ۵ سے ۱۰ تک کے طلباء کے تعلیمی اور ذہنی فروغ کے مقصد سے روزانہ ۱۰ منٹ کی آناپان دھیان کی باضابطہ مشق شروع کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۴۔ معزز رکن، ڈاکٹر اجے کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت کوئی علاقے میں مرکزی یونیورسٹی کے قیام کے لئے حکومت ہند سے سفارش کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۵۔ معزز رکن، جناب نول کشور یادو نے تجویز پیش کی کہ حکومت غیر مالی کالج، انٹر کالج، سکینڈری اسکول کے اساتذہ کو گرانٹ کے قیام پر شرح تنخواہ کی ادائیگی کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۶۔ معزز رکن، جناب ونشی دھر برج واسی نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست میں مامور سبھی لوکل باڈیز بیسک و گریجویٹ گریڈ اساتذہ کم پنچایت ر بلاک ر نگر چھکوں اور ضلع پریشد سکینڈری ہائیر سکینڈری اساتذہ سمیت سبھی خصوصی اساتذہ اور اسکول کے ماسٹروں کے زیر التواء پر موشن کا ضابطہ پورا کرے۔

(اس موقع پر عزت مآب کرسی نشیں ہوئے۔)

(ریزولوشن ایوان کے ذریعہ منظور ہوا۔)

۱۷۔ معزز رکن، جناب سونو کمار رائے کے ذریعہ تجویز پیش کی کہ حکومت سہ سطحی پنچایتی راج کے سابق نمائندوں کے لئے پنشن کا نظم یقینی کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۸۔ معزز رکن، پروفیسر (ڈاکٹر) ویریندر نارائن یادو نے تجویز پیش کی کہ حکومت سیوان ضلع کے زمین سے محروم گریس ہائی اسکول، میرواکوزمین و عمارت دستیاب کرائے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۱۹۔ معزز رکن، محترمہ ششی یادو نے تجویز پیش کی کہ وہ سبھی محکموں، انٹرپرائزز، مہموں اور پرائیویٹ شعبہ کے دائرہ میں ۴ (چار) لیبر ضابطوں کے تحت طے مزدوری ر تنخواہ ر محتانہ کی وقت پر ادائیگی کرانے کے لئے سیاسی پارٹیوں، لیبر یونینوں اور لیبر قانون کے ماہرین کی شرکت سے نگرانی یونٹ کی تشکیل کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

(جناب سنجے کمار سنگھ چیف وہپ حزب اقتدار کی تجویز پر ایوان کا وقت بڑھایا گیا۔)

۲۰۔ معزز رکن، جناب رویندر پرساد سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست میں مامور سبھی کٹیگری کے سرکاری افسران اور ملازمین

کے بچوں کی تعلیم لازمی طور سے سرکاری اسکولوں میں یقینی کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۲۱۔ معزز رکن، جناب کمار ناگیندر کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت ریاست کے سبھی شعبے کا مساوی طور فروغ کرنے کے لئے متعین ایم پی اور ایم ایل اے فنڈ کی طرح لوکل باڈیز کے عوامی نمائندوں اور پنچایتی راج کے عوامی نمائندوں کو ایک حتمی ترقیاتی رقم دستیاب کرانے کے لئے مرکزی حکومت سے سفارش کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۲۲۔ معزز رکن، ڈاکٹر مدن موہن جھا کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت ’للت نارائن متھلا یونیورسٹی در بھنگہ کے تحت آنے والے مختلف کنسٹی ٹیوٹ کالجوں میں مامور اساتذہ، گیسٹ ٹیچر اور ملازمین کے مہینوں سے زیر التواء تنخواہ اور سبکدوش ملازموں کے پنشن وغیرہ کی صد فیصد ادائیگی کے لئے جلد سے جلد رقم کا نظم کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۲۳۔ معزز رکن، ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت مختلف محکموں کے ماتحت قائم و چلائے جا رہے یکساں اور مساوی نصاب تعلیم کا مطالعہ کرانے والے سبھی کئی گری کے اسکول ٹیچروں کے بیچ تنخواہ سے متعلق امتیاز کو ختم کرتے ہوئے ریاستی ملازمین کے لئے متعینہ تنخواہ ڈھانچہ لازمی طور سے نافذ کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۲۴۔ معزز رکن، جناب گھنشیام ٹھاکر کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت ’مدھوبنی ضلع کے بنی پٹی سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں مرکزی اسکول کے قیام کرنے کے لئے مرکزی حکومت سے سفارش کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۲۵۔ معزز رکن، سچید انند رائے کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت ’قانون سازیہ کے اراکین کے مساوی ہی سطحی پنچایت راج نمائندوں کو بھی باضابطہ تنخواہ، بھتہ، میڈیکل اور پنشن کا نظم کرے۔

(ایوان کی اجازت سے ریزولوشن واپس ہوا۔)

۲۶۔ معزز رکن، ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت ریاست کے صارفین کو قریب کی ریاست اتر پردیش میں نافذ قیمت پر ہی ڈیزل اور پٹرول کی دستیابی یقینی کرے۔

(ریزولوشن ایوان کے ذریعہ منظور ہوا۔)

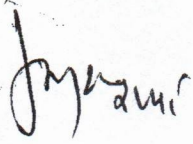
۷۔ عرضداشت

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| ۱۔ جناب گھنشیام ٹھاکر | ۲۔ جناب سونو کمار رائے | ۳۔ ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ |
| ۴۔ جناب جیون کمار | ۵۔ پروفیسر سنجے کمار سنگھ | ۶۔ جناب کمار ناگیندر |
| ۷۔ جناب سرویش کمار | ۸۔ جناب کارنک کمار | ۹۔ ڈاکٹر اجے کمار سنگھ |

- ۱۰۔ محترمہ رینادیوی ۱۱۔ جناب ونو دکمار جیسوال ۱۲۔ جناب رویندر پرساد سنگھ
 ۱۳۔ محترمہ انامیکا سنگھ ۱۴۔ ڈاکٹر ارمیلا شاہ کر ۱۵۔ محترمہ شیورانی دیوی
 ۱۶۔ جناب مہیشور سنگھ ۱۷۔ جناب للن پرساد ۱۸۔ جناب ائل کمار

چیرمین: آج مورخہ ۲۱ جولائی، ۲۰۲۶ کو کل ۱۸ موصول عرضداشتوں کو عرضداشت کمیٹی کے توسط سے متعلقہ محکموں کو ارسال کیا جائے۔

بعد ازاں کاؤنسل کی نشست بدھ مورخہ ۲۲ جولائی، ۲۰۲۶ء کو ۱۲ بجے دن تک کے لئے ملتوی ہوئی۔



21/07/2026

(سبھیم شرما)

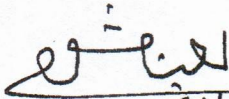
چیف رپورٹر

بہار قانون ساز کاؤنسل

21.07.2026

میمونمبر۔ 1037(3)

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



21/7/26 (اویناش امن)

سکشن افسر

اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل